कार्यालयः—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग(छत्तीसगढ़)

—विज्ञापन—

दुर्ग, दिनांक 01/09/2016

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि— 18.10.2016 — संध्या 5.00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय स्थापना दुर्ग के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड –3 (सेल अमीन/ आदेशिका लेखक) एवं वाहन चालक के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :—

<u>रिक्त पदों का विवरण</u>

क्र.	रिक्त पदों के नाम	कुल रिक्त पद	पदों का आरक्षण विवरण															
			अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.
1	स्टेनोग्राफर	04	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	01	01	0	0
	योग	**04**	**01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**01**	**0**	**0**	**0**	**01**	**01**	**0**	**0**
	सहायक ग्रेड –3 (सेल अमीन)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	02	01	0	0
	सहायक ग्रेड –3 (आदेशिका लेखक)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**02**	**0**	**0**	**0**	**02**	**01**	**0**	**0**
क्र.	रिक्त पदों के नाम	कुल रिक्त पद	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.	मु.	म.	शा वि	भू. पू. सै.
	वाहन चालक	02	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0
	योग	**02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**01**	**0**	**0**	**0**	**01**	**0**	**0**	**0**

संकेतक — मु.—मुक्त, म.—महिला, वि.—विकलांग, भू.पू.सै.— भूतपूर्व सैनिक,

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर के पद के लिये –

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 2800/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन या मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ एम एस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान ।

(2) सहायक ग्रेड –3 (सेल अमीन) के पद के लिये
(3) सहायक ग्रेड –3 (आदेशिका लेखक) के पद के लिये

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन या मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ एम एस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(4) वाहन चालक के पद के लिये

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता**

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आंठवी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।
2. लाईट मोटर व्हीकल का जीवित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(स) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) दिनांक 01/09/2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो ।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूॅट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम सीमा में निम्ननुसार छूॅट रहेगी:–

3 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूॅट दी जावेगी ।

3 (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का है , तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूॅट दी जावेगी ।

3 (एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचरियों के लिये भी स्वीकार्य होगी ।

3 (एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है ।

3 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)– महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूॅट के अतिरिक्त होगी ।

3 (एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूॅट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूॅट का लाभ दिया जा रहा है ।

(अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यकता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

3 (एक)(8)– स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमिशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनको आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3 (एक)(9)– विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अधिकतम छूट रहेगी ।

3 (दो)(1)– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदको को अधिकतम सीमा आयु में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3 (दो)(2)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3 (दो)(3)– विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चन्द्र भंज सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–19–2/2005/1–3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी ।

3 (दो)(4)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :— (1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूॅट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूॅटों में यदि कोई सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये छूॅट मिलेगी । यह छूॅट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूॅट के अतिरिक्त होगी ।

(3) उपरोक्त 3 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूॅट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

(4) किसी भी उम्मीदवार कों किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूॅट लाभ दिये जाने के उपरांत पर भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

उदाहरण :— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग का होने के साथ साथ ग्रीनकार्ड धारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूॅट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूॅट और दी जाएगी। ग्रीन कार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूॅट नहीं दी जायेगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूॅट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 2 वर्ष की और अधिकतम आयु की सीमा में छूॅट का लाभ दिया जा सकेगा । अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूॅट नहीं दी जायेगी ।

(5) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूॅट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

महत्वपूर्ण — यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्हत मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है । मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरें जा सकेंगे ।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1— आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 18/10/2016 की संध्या 5.00 बजे तक** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद (पद का नाम) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते है । **दिनांक 18/10/2016 की संध्या 5.00 बजे** के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।

2— जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

3— ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियुक्ती विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ती प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

4— आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे पर 5/—रू0 की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करे ।

5— प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच पश्चात अर्हताधारी अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक सूचना दी जावेगी । जिन उपयुक्त आवेदको को साक्षात्कार तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे निर्धारित समय के पूर्व अपना आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण पत्र सहित उपस्थित हो सकेंगे । परीक्षा उपरान्त उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई, तो साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी ।

चयन प्रक्रिया

1— उपरोक्त क्रमांक 01 के रिक्त पदो पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना से ज्यादा आवेदन प्राप्त होन पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) द्वारा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों पर तीन गुना तक अभ्यर्थी प्रायोगित कौशल परीक्षा हेतु आंमत्रित किए जायेंगे, इसमें न्यूनतम **cut-off** 50 प्रतिशत संख्या पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में अंक पाने वाले एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में यह संख्या तीन गुना से अधिक भी हो सकती है तथा निर्धारित पूर्णांक में से 50 प्रतिशत प्राप्तांक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं हाने की स्थिति में कौशल परीक्षा/प्रायोगिक परीक्षा के निर्धारित प्राप्तांक को शिथिल करने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) को होगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा एवं में प्राप्तांको का जोड़ कर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी, और उक्त सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा । उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के वैध होगी ।

2— वाहन चालक के पद हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको को जोड़ कर प्रावीण्य सूची तैयार किया जावेगा ।

3— समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

4— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) को होगा ।

5— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6— चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थ फिटनेस प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से किए जाने बाद ही सेवा में लिया जाएगा ।

7— चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

8— चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा ।

अपुर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में सभी जानकारी देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं सही एवं पूर्ण जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, उसकी पूरी जिम्मेंदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

(1) स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 (सेल अमीन एवं आदेशिका लेखक) –

प्रथम भाग–लिखित परीक्षा

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंको का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसके सभी 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1–1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिए गए होंगे जिसमें से केवल एक विकल्प सही होगा । उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे । उक्त परीक्षा की अवधि केवल दो घंटे की होगी ।

द्वितीय भाग–प्रायोगिक परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के रिक्त पदों के तीन गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–3 (सेल अमीन एवं आदेशिका लेखक) के पद के संबंध में हिन्दी शीघ्रलेखन, हिन्दी मुद्रलेखन और कम्प्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । लेकिन विज्ञापित पद के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर प्रायोगिक परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 3:1 से कम या अधिक हो सकती है । दो उम्मीदवारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दशा में प्रथमतः अधिक आयु वर्ग वाले को वरीयता दी जावेगी, यदि आयु भी समान होगी, तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जाएगी । हिन्दी मुद्रलेखन के लिए कम से कम 25 शब्द प्रतिमिनट की गति होना आवश्यक है । स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जावेगा, जिसका अनुवाद कर समय–सीमा में शुद्धता से टाईप करना होगा । लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के उम्मीदवार के प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु श्रेणी/वर्गवार मेरिट–लिस्ट में तैयार की जाएगी ।

प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निम्नानुसार पूर्णांक रहेंगे :—

स्टेनाग्राफर —

01.	डिक्टेशन/श्रुतलेख एवं पश्चात टायपिंग	—	45 अंक
02.	कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग	—	45 अंक

सहायक ग्रेड–3 (सेल अमीन एवं आदेशिका लेखक)

01.	टायपिंग मशीन में गद्यांश टायपिंग	—	45 अंक
02.	कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग	—	45 अंक

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड –3 (सेल अमीन एवं आदेशिका लेखक) दोनों पदों के लिए आवेदन दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी का एक ही बार लिखित परीक्षा तथा एक ही बार टायपिंग एवं कम्प्यूटर परीक्षा लिया जावेगा जो दोनों पदों के लिए मान्य होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी मुद्रलेखन/हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर ऑपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक चयनित अंतिम उम्मीदवार, जो दोनो लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हो । उपरोक्त दोनों परीक्षा (प्रायोगिक एवे साक्षात्कार परीक्षा) में प्राप्तांको के आधार पर योग्य उम्मीदवार की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रवीण्य सूची तैयार की जाएगी । परन्तु ऐसे उम्मीदवारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा मे नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

(2) वाहन चालक के पद हेतु :—

वाहन चालक के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया जावेगा ।

1.	वाहन परिचालन में	—	40 अंक
2.	साक्षात्कार	—	10 अंक

अन्य आवश्यक सूचना

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगीं, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे । उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक–पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 15/11/2016 को चस्पा कर दी जाएगी । आवेदकगण स्वयं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में सूची देख सकते है इसकी पृथक से सूचना आवेदकगण को नहीं दी जावेगी । **पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रेषित करें ।**

डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।

लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यथियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रायोगिक परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी । अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा हेतु स्वयं मुद्रलेखन यंत्र की व्यवस्था करनी होगी ।

(डी.एल.कटकवार) 1-9-16
अध्यक्ष,
चयन समिति,
कुटुम्ब न्यायालय,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड–3(सेल अमीन/आदेशिका लेखक)/वाहन चालक के पदों पर नियुक्ति हेतु)
(जिस पद/पदों के लिए आवेदन करें उसे टीक करें)

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
दुर्ग (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

1. आवेदित पद का नाम

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. लिंग– (✓ अंकित करें) पुरुष ☐ महिला ☐

4. पिता/पति का नाम

5. (अ) व्यवहार का वर्तमान पता

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)

6. (अ) जन्म तिथि अंकों में दिन / माह / वर्ष (दिन माह वर्ष)

शब्दों में जन्म तिथि

(ब) दिनांक 01/09/2016 को आयु वर्ष / माह / दिन (वर्ष माह दिन)

7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है ? (जो लागू न हो उसे काट दें) | हां | नहीं |

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? (जो लागू न हो उसे काट दें) | हां | नहीं |

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

10. क्या आवेदक विकलांग है ?

(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।)

(जो लागू न हो उसे ✂ कॉट दें) | हां | नहीं |

विकलांगता का प्रकार | | | | | | | | हां | नहीं |

11. यदि विकलांग है तो

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? (जो लागू न हो उसे ✂ कॉट दें) | हां | नहीं |

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

14. रोजगार कार्यायल का नाम

15. क्या आप विवाहित है ? (जो लागू न हो उसे ✂ कॉट दें) | हां | नहीं |

16. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि

17. जीवित बच्चों की संख्या ....>

क्रमांक	बच्चे के नाम	लिंग(स्त्री/पुरूष)	बच्चे की जन्मतिथि

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत

19. क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत् है ?(जो लागू न हो उसे ✂ कॉट दें) | हां | नहीं |

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अन्नापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक .... आवेदक का हस्तक्षर

स्थान .... नाम एवं पूरापता